पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2018 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2541

==========

सुजीत रंजन स्वर्गीय राम नरेश राम का पुत्र, गाँव-घरिहारीचक, पुलिस स्टेशन-मेहसी, जिला-पूर्वी चंपारण का निवासी है।

....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर।
2. महाप्रबंधक-सह-अपीलीय प्राधिकरण, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मोतिहारी।
4. शाखा प्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा-दिलावरपुर, क्षेत्रीय कार्यालय मोतिहारी (दक्षिण)।

....प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
	:	श्री राम बिनोद सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी-बैंक के अधिवक्ता	:	श्री प्रभाकर झा, अधिवक्ता
	:	श्री अमितेश झा, अधिवक्ता

==========

सेवा कानून–आरोप ज्ञापन को चुनौती–याचिकाकर्ता को लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था, बिहार लोक सेवा आयोग से उचित सिफारिश के बाद–वर्ष 2007 में, उसे क्लास-I राजपत्रित पद पर पदोन्नत किया गया था–एक गैर-सक्षम व्यक्ति द्वारा आरोप का ज्ञापन जारी किया गया था–विभागीय कार्यवाही शुरू करने की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री से ली गई है, लेकिन आरोप शुरू करने के लिए अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री से नहीं लिया गया था, बल्कि यह सचिव से लिया गया था–समीक्षा प्राधिकारी द्वारा किया गया तर्क तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है–भूपेंद्र नारायण झा के मामले में माननीय पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया है कि बिहार के राज्यपाल इंजीनियरिंग सेवा वर्ग I के सदस्यों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी हैं–याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी आरोप ज्ञापन दोषपूर्ण है; और एक बार जब आरोप ज्ञापन दोषपूर्ण हो जाता है तो स्वचालित रूप से पूरी कार्यवाही गलत होती है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित कर दिया गया–रिट याचिका को उसकी सेवा से जुड़े याचिकाकर्ता को सभी परिणामी राहत प्रदान करने के निर्देशों और उनके पद के सेवानिवृत्त बकाया के साथ आवेदन अनुज्ञात किया गया।

(पैरा 9, 11 और 13)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति डॉ. श्री अंशुमन

मौखिक न्यायादेश/निर्णय

तिथीः- 07-05-2024

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और प्रतिवादी-बैंक के लिए विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका पत्र संख्या 32 दिनांक 01.02.2017 में निहित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके बाद पत्र संख्या 33 दिनांक 01.02.2017 में निहित प्रशासनिक आदेश और प्रतिवादी-बैंक के महाप्रबंधक-सह-अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित पत्र संख्या 809 दिनांक 29.03.2017 में निहित अपीलीय आदेश को भी रद्द करने के लिए दायर की गई है। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र संख्या 25 दिनांक 11.01.2017 में निहित प्रस्तावित आदेश को रद्द करने के लिए रिट याचिका में आगे प्रार्थना की गई है, जिसमें जांच अधिकारी की दिनांक 29.08.2016 की जांच रिपोर्ट को रद्द करने और पत्र संख्या 700 दिनांक 05.02.2016 में निहित आरोप पत्र और अभियोग कथन को रद्द करने के लिए कहा गया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी और कर्मचारी सेवा विनियमन 2010 के विनियमन 39 (2) (बी) (vi) के साथ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (संशोधन) विनियमन, 2013 के संदर्भ में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के निलंबन की अवधि के लिए वेतन, भुगतान और भत्ते का भुगतान करने का भी अनुरोध किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यालय सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता एक साधारण मैट्रिक है।

उनकी पहली पोस्टिंग रक्सौल शाखा में थी और उसके बाद उन्हें दिलावरपुर शाखा में भेज दिया गया।प्रासंगिक समय में, बैंक की शाखा एक हस्तचालित बैंक थी और इसका कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया था। वकील प्रस्तुत करता है कि विभागीय कार्यवाही शुरू करने के आधार पर उसे पत्र संख्या 697 दिनांक 03.02.2016 के माध्यम से निलंबित कर दिया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि आरोप पत्र पत्रांक 700 दिनांक 05.02.2016 के माध्यम से तैयार किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ दो आरोप लगाए गए थे। पहला यह कि याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से और बिना किसी अधिकार के 93 केसीसी खातों में क्रेडिट सीमा बढ़ा दी है, जिसके कारण बैंक का ब्याज खतरे में पड़ गया है और उसके गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण बैंक को रूपया 18,33,387/- का वित्तीय नुकसान हुआ है। दूसरा आरोप यह लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने 8 केसीसी खातों में मंजूरी सीमा से अधिक भुगतान किया, जिसके कारण बैंक का ब्याज खतरे में पड़ गया है और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण बैंक को 1 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोप पत्र और कदाचार का आरोप याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया है, लेकिन न तो गवाहों की सूची और न ही उसे कोई दस्तावेजी सबूत प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2010 की कथित गलती के लिए 05.02.2016 पर आरोप जारी किया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने डाक द्वारा 20.02.2016 पर एक कारण-प्रदर्शन स्पष्टीकरण दायर किया है, जिसमें पूरी तरह से इनकार किया गया है कि किसी भी खाते की ऋण सीमा उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई है; बल्कि याचिका ली गई है कि सीमा की हर वृद्धि उसके उच्च अधिकारी द्वारा लिए गए निर्देश पर की गई है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को पूर्णतः बिस्तर पर

आराम करने की सलाह दी गई थी और इस तरह, वह नियमित रूप से विभागीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने प्रत्येक तारीख को अपने चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा किए हैं। लेकिन जांच अधिकारी ने प्रतीक्षा करने के बजाय याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की है और याचिकाकर्ता को एकतरफा कार्यवाही शुरू करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ दोनों आरोप साबित हुए थे। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता को भी भेजी गई थी। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि जांच रिपोर्ट के बचाव में उन्होंने अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष अपना कारण-प्रदर्शन प्रस्तुत किया है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया है, हालांकि इसे आदेश में स्वीकार किया गया है, लेकिन इसे अनदेखा करने के उद्देश्य से कोई कारण नहीं दिया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि सेवाओं से बर्खास्तगी की सजा दी गई है जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने महाप्रबंधक-सह-अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपनी अपील को प्राथमिकता दी है। लेकिन महाप्रबंधक-सह-अपीलीय प्राधिकरण ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की है। अपने बचाव में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के समक्ष दो दस्तावेज पेश किए हैं। उन्होंने जो पहला दस्तावेज़ उठाया है वह अनुलग्नक-6 है जिसमें उन्होंने विशिष्ट बिंदु बनाए हैं कि दूसरा कारण दिखा कर उनका बचाव क्या है। एक अन्य बिंदु जिस पर उन्होंने जोर दिया है, उसे पूरक हलफनामा, अर्थात अनुलग्नक-11, जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की कर्मचारी जवाबदेही नीति है, दाखिल करके उनकी दलील के साथ जोड़ा गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की कर्मचारी जवाबदेही नीति का खंड 7 (xii) उनके पक्ष

में है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी चूक के लिए कोई जवाबदेही तय नहीं की जाएगी जो घटना की तारीख से चार साल की दो क्रमिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों में इंगित नहीं की गई है। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से, कथित गलती वर्ष 2010 में की गई है, लेकिन आरोप ज्ञापन वर्ष 2016 में जारी किया गया है, यानी लगभग छह साल के अंतराल के बाद।

4. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह सच है कि इस घटना के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन उक्त प्राथमिकी में शाखा प्रबंधक को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन आपराधिक मामले का परिणाम याचिकाकर्ता को अंतिम रूप से आरोपों से दोषमुक्त करना है। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि उनके अनुसार तीन गंभीर अवैधताएं हैं जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा की गई हैं और साथ ही अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी उन पर विचार नहीं किया गया है:

I. कारण-प्रदर्शन में लिए गए बिंदुओं पर चर्चा नहीं की गई है।

II. कि न तो मूल प्राधिकरण और न ही अपीलीय प्राधिकरण ने बैंक की जवाबदेही नीति के अपने नियम 7 (xii) में विचार किया है और,

III. कि वह आपराधिक मामला जिसमें याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है।इस पृष्ठभूमि में, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानून में खराब हैं और इसलिए, उन्हें दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। उसे बैंक में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-बैंक के विद्वान वकील, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने बैंक का क्लर्क होने के नाते नीति की अनदेखी करने का साहस किया है। उनके पास ग्राहकों की क्रेडिट सीमा बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन कानून की अनदेखी करके उन्होंने क्रेडिट सीमा बढ़ा दी है, जिससे बाद में बैंक को भारी नुकसान हुआ और जैसे ही यह तथ्य बैंक के संज्ञान में आया, बैंक ने उनके खिलाफ आरोप पत्र शुरू कर दिया है, उनके खिलाफ शाखा प्रबंधक के साथ आपराधिक मामला दर्ज किया है। वकील प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता को प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए उचित अवसर दिया गया था। लेकिन विभागीय कार्यवाही की जानकारी होने के बाद भी याचिकाकर्ता ने बचाव नहीं करने का फैसला किया। नतीजतन, बैंक ने उनके खिलाफ एकतरफा विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। बैंक के विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के वकील की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि दूसरे कारण-प्रदर्शन पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पर जोर दिया है कि कारण दर्शाओ में उल्लिखित प्रत्येक बिंदु पर उचित ध्यान दिया गया है और आदेश पत्र में भी डाला गया है और उसके बाद एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया गया है। बैंक के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के वकील ने जवाबदेही नीति के खंड 7 (xii) के तहत प्रावधान को नहीं पढ़ा है, क्योंकि उक्त नीति में ही अपवाद है कि धोखाधड़ी, अन्य आपराधिक अपराधों और उन मामलों में जहां उस स्थिति में दुर्भावनापूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है, जवाबदेही नीति के खंड 7 (xii) का लाभ अपराधी को उपलब्ध नहीं होगा। मामले के इस दृष्टिकोण में, बैंक के वकील ने प्रस्तुत किया कि मूल आदेश के साथ-साथ अपीलीय आदेश को तर्क के साथ पारित किया गया है और दोनों आदेश कानून की नजर में टिकाऊ हैं।

6. पक्षकारों को सुनने और अभिवचनों से गुजरने पर यह इस न्यायालय को सूचित करता है कि याचिकाकर्ता ने 2010 की अवधि के दौरान कथित गलत किया है। इस न्यायालय के संज्ञान में यह भी आया है कि गलती उस अवधि के दौरान की गई है जब याचिकाकर्ता शाखा प्रबंधक की अनुपस्थिति में बैंक को संभाल रहा था, क्योंकि शाखा प्रबंधक छुट्टी पर था। इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि यदि उच्च प्राधिकारी ने शाखा प्रबंधक को छुट्टी स्वीकृत की है, तो उन्हें व्यवस्था करनी चाहिए और उन्हें केवल क्लर्क के माध्यम से शाखा चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह गलती उनके कारण हुई है। इस अदालत का यह भी विचार है कि कथित गलतियां वर्ष 2010 में की गई हैं, और जिस खाते में वर्ष 2010 में क्रेडिट लिमिट बढ़ाई गई है, वह 2015 तक लाभ के साथ जारी रहा और 2015 के बाद खाता एन. पी. ए. में बदलने लगा, तब बैंक को पता चला। वह याचिका जिस पर मूल आदेश और अपीलीय आदेश में कोई चर्चा नहीं की गई है कि बैंक खाते के संचालन का बीमा किया गया था, तो "क्या वास्तविक नुकसान बीमा कंपनी द्वारा वसूल किया गया है या नहीं?" इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यानी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की कर्मचारी जवाबदेही नीति का खंड 7 (xii), जो इस प्रकार हैः

> *"07.(xii) किसी भी चूक के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। जो घटना की तारीख (अर्थात चूक की घटना) से 4 साल की दो क्रमिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों में इंगित नहीं किया गया है, जो भी बाद में हो। यदि दूसरे लेखापरीक्षा/निरीक्षण के बाद पिछली निरीक्षण अवधि के कारण कोई बड़ी अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और वे कार्रवाई/अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी*

होंगे। यह समय सीमा (i) धोखाधड़ी (ii) अन्य आपराधिक अपराधों या (iii) ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगी जहां दुर्भावनापूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है।

7. बैंक की जवाबदेही नीति को देखने के बाद, इस न्यायालय के लिए यह बहुत स्पष्ट है कि चार साल की समय सीमा है, जिसके दौरान कार्रवाई की जानी है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। बैंक के वकील द्वारा उठाई गई जवाबदेही नीति के खंड 7 (xii) की प्रयोज्यता का अपवाद सही है कि धोखाधड़ी के अन्य आपराधिक अपराधों या दुर्भावनापूर्ण मामलों में छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ वर्तमान मामले में, यह सच है कि एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, लेकिन एफ.आई.आर. से यह भी सच है कि याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है और विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया गया है। विभागीय कार्यवाही में व्यक्तिगत लाभ का प्रश्न भी आरोपित नहीं किया गया है। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने क्षेत्रीय प्रबंधक-सह-अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्या 32 दिनांक 01.02.2017 में निहित आदेश, क्षेत्रीय प्रबंधक-सह-अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्या 33 में निहित प्रशासनिक आदेश और महाप्रबंधक-सह-अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित पत्र संख्या 809 दिनांक 29.03.2017 में निहित आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकरण को याचिकाकर्ता द्वारा दायर दूसरे कारण बताओ पत्र में उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर नए सिरे से विचार करने के साथ-साथ अपनी स्वयं की कर्मचारी जवाबदेही नीति-खंड 7 (xii) का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/उत्पादन। चूँकि चुनाव को अधिसूचित कर दिया गया है, इसलिए चुनाव समाप्त होने की तारीख से 90 दिनों की गिनती की जाएगी। यदि

प्रबंधन को पता चलता है कि याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है, तो उस मामले में तत्काल योगदान करने का निर्देश दिया जाएगा।

(डॉ. अंशुमन, न्यायमूर्ति)

एमकेआर./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।